सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2017/565 दर्ज दिनांक : 20.06.2017

1. परमानन्द पुत्र दौलतराम जाति मेघवंशी निवी वार्ड नं. 04 चूरू तहसील व जिला चूरू राजस्थान

–वादी–

बनाम

1. नोरंगराम पुत्र बख्ताराम जाति मेघवाल निवासी झारिया तहसील व जिला चूरू
2. तहसीलदार चूरू राजस्थान सरकार

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री हकीम अहमद खान
प्रतिवादी एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 251ए, 88, 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 251ए, 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया है कि वादी चूरू का निवासी है वादी का खातेदारी खसरा नम्बर 809/627 रकबा 13 बीघा 09 बिश्वा ग्राम आसलखेड़ी पटवार हल्का झारिया तहसील चूरू में स्थित है वादी अपने खेत में आने जाने हेतु झारिया से खींवासर को जाने वाले रास्ते से होकर खेत खसरा नम्बर 155 की उतरी सींव से लगे रास्ते से होकर अपने खेत में करीब 50 साल में आना जाना व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है खेत खसरा नम्बर 155 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 नोरंगराम मेघवाल है।
2. वादी का खेत आसलखेड़ी की रोही में स्थित है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का खेत झारिया की रोही में स्थित है मगर वादी व प्रतिवादी दोनों एक दूसरे के उतर–पूर्व दिशा के चिपते पड़ौसी है वादी झारिया से खींवासर को जाने वाले रास्ते से चलकर प्रतिवादी के जाने वाले रास्ते से चलकर खेत खसरा नम्बर 155 की उतरी सींव के अन्दर से वर्षों से कायम रास्ते से आजा करता आ रहा है वादी का यह रास्ता प्रतिवादी की उतरी सींव में होकर वादी के खेत में जाता है इसलिए प्रतिवादी के कोई असुविधा नहीं है।
3. वादी उक्त रास्ते होकर अपने खेत में 50 वर्षों से चलकर अपने खेत में आना जाना करता चला आ रहा है इसलिए वादी को अपने खेत आने जाने हेतु सिविल राईट्स प्राप्त हो गये है।
4. वादी को अपने खेत में जाने हेतु यही एक मार्ग रास्ता है जिससे वर्षों से आना जाना व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है प्रतिवादी संख्या 01 ने मार्च 2017 को वादी को जुबानी तौर पर मना किया कि आप मेरे खेत की सींव में से अपने खेत में आना नहीं करें आज तक तो आप आते जाते रहे है म[illegible] से आना जाना नहीं करे आज तक तो आप आते जाते रहे है [illegible] नहीं करे इस वादी ने प्रतिवादी सं. 02 तहसीलदार चूरू को दिनांक [illegible] पेश शिकायत की थी प्रतिवादी सं. 01 नोरंगराम ने मुझे वर्षों से कायम रास्ते से अपने खेत में आने जाने [illegible] कर रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

ताि एलानिया धमकी दी कि आगे से मेरे खेत की सींव में से स्थित रास्ते आना जाना नहीं करें अन्यथा मै जबरदस्ती रोक दूंगा। तहसीलदार महोदय ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी थी मगर आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है कोई कार्यवाही नहीं है।

5. वादी को अपने खेत में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता झारिया से खींवासर जाने वाले रास्ते से होकर प्रतिवादी सं. 01 नोरंगराम के खेत खसरा नम्बर 155 की उतरी सींव के अन्दर से जाने वाला रास्ता है इसी रास्ते से होकर वादी अपने खेत आना जाना करता है। उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है अगर प्रतिवादी नोरंगराम ने अगर इस वर्षो पुराने रास्ते को रोक दिया तो वादी को अपने खेत में आने जाने का एक मात्र रास्ता बंद हो जायेगा तो वादी घोर असुविधा होगी तथा उसके खेत में आना जाना अवरूद्ध हो जायेगा तो उसको हमेशा के लिए हानि होगी तथा उसके सिविल राईट्स जो उसे वर्षो से प्राप्त है वो समाप्त हो जावेगे प्रतिवादी को वादी के एक मात्र वर्षो से स्थित रास्ते को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है अतः प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना निहायत आवश्यक है इसलिए दावा पेश किया जा रहा है।

6. वादी को प्रतिवादी सं. 01 ने दिनांक 17.03.2017 को अपने खेत आने जाने हेतु मना किया इसलिए वादी को प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध दिनांक 17.03.2017 से कॉज ऑफ एक्सन हासिल है।

7. प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार महोदय चूरू को दावा में पक्षकार इसलिए बनाया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा किए जाने वाले निर्णय की पालना तहसीलदार चूरू के द्वारा की जानी है प्रतिवादी सं. 02 के विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं मांगी गई है।

8. दावा घोषणात्मक नेचर का है इसलिए घोषणात्मक दावा में सरकार जरिए तहसीलदार चूरू को पूर्व में 60 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है मगर चूंकि काश्त का महिना है तथा दावा में वर्णित रिलिफ आवश्यक नेचर की है 60 दिन का नोटिसर धारा 80 सीपीसी का दिया जाने के लिए समय काफ़ी लगता है दो माह का इन्तजार करने पर काश्त का सीजन निकल जाता है इसलिए प्रतिवादी सं. 02 के विरूद्ध बिना नोटिस दिए धारा 80(2) जा.दी. की इजाजत के तहत दावा आवश्यक नेचर का पेश करने की इजाजत के साथ यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि

9. दावा में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तहसील चूरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है।

10. यह कि दावा वादी काबिल न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है कि वादी का दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) यह कि प्रतिवादी सं. 1 नोरंगराम को वर्जित फरमाया जावे कि वादी को अपने खेत खसरा नम्बर 809/627 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 155 की उतरी सींव में से स्थित रास्ते में से होकर आने जाने हेतु नही रोके कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादी अपने खेत में जाने हेतु व उपयोग व उपभोग में से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

(ख) यह कि प्रतिवादी सं. 02 तहसीलदार चूरू को निर्देशित फरमाया जावे कि वो निर्णय व डिग्री की पालना में [illegible] जाने हेतु खेत खसरा नम्बर 155 में से होकर जाने वाले रास्ते को जिस [illegible] अपने चोत में आना जाना करता है को कटाणी रास्ता घोषित [illegible] करता है को कटाणी रास्ता घोषित कर कटाणी [illegible] रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो कानूनन वादी को दिया जा सकता हो तो वो अता फरमाया जावे।

11. दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र न्यौल ने वकालतनामा पेश किया तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके अनुसार रोही ग्राम झारिया के खसरा नम्बर 155 तथा रोही ग्राम आसलखेड़ी के वादगत कृषि भूमि के खसरा नम्बर 809/627 में पहुंचकर आवागमन हेतु रास्ता का मौका देखा गया। संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया पेंसिल से रास्ते खसरा नम्बर 157 रोही झारिया के जोहड़ पायतन से निकलकर खसरा नम्बर 628, 631, 808/627 में जाता है तथा 808/627 मे के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 809/627 में जाने का रास्ता पगडंडी के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें चलने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। झारिया से खींवासर कटानी रास्ता के पश्चिम में वादी परमानंद का खेत खसरा नम्बर 155 है तथा खसरा नम्बर 155 के उत्तर पश्चिम में वादी परमानंद का खेत खसरा नमब्र 809/627 चिपता हुआ है जो कटानी रास्ते से करीब 50 फीट की दूरी पर है जो संलग्न नक्शा से स्पष्ट होता है। खसरा नम्बर 155 रोही झारिया के उत्तर सीमा पर दर्शाता गया प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है तथा इस रास्ते की आवश्यकता अत्यंतिक भी है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी चूरू का निवासी है तथा खातेदारी खेत खसरा संख्या 809/627 आसलखेड़ी की रोही में है यह कि वादी कभी भी खसरा संख्या 155 के उतरी भाग या इस खसरा नम्बर के अन्य दिशा से अपने खेत में कभी नहीं गया ना ही वर्तमान में आवागमन करता है। वादी व प्रतिवादी की रोही अलग–अलग गांव की है वादी, प्रतिवादी से जबरदस्ती खेत में से रास्ता लेना चाहता है। वादी ताकतवर व्यक्ति है तथा राजनैनितक पहूंच रखने वाला व्यक्ति है इस कारण वादी बलपूर्वक अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाकर प्रतिवादी पर दबाव बनाना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी ने एक मेजरमाना तैयार करवाया है जिसमें गांव के सैंकड़ों मोजिजान व्यक्तियों द्वारा अपने हस्ताक्षर किये है जिस मेजरनामा को प्रतिवादी द्वारा इस जवाब दावा के साथ संलग्न कर पेश किया जा रहा है तथा प्रतिवादी ने खेत को जानने वाले तथा पड़ौसियों भागाराम, सोहनराम, खुमाराम, भोजराज, बाबूलाल आदि के शपथ पत्र दिये है जिन्होने बताया कि वादी परमानन्द का कभी भी प्रतिवादी नोरंगराम के खेत में से आवागमन नहीं रहा है एव ना ही कभी वादी को नोरंगराम के खेत खसरान की भूमि से आते जाते देखा है। अतः वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। ग्राम वासियों द्वारा प्रस्तुत मेजरनामा के अनुसार ग्राम पंचायत झारिया के सरपंच व सभी पंचों को इस बात की जानकारी व ज्ञान है कि नोरंगराम पुत्र बखताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झारिया, तहसील व जिला चूरू (राज.) के खेत खसरा नम्बर 155 वाके रोही ग्राम झारिया में से परमानन्द पुत्र दौलतराम जाति मेघवाल निवासी चूरू का कभी भी रास्ता नहीं रहा है ना मौके पर अब ही है व ना कभी भी खसरा नम्बर 155 में से होकर अपने खेत गया है बल्कि परमानन्द का रास्ता सदामत से झारिया खींवासर जाने वाली आम सड़क से जोहड़ की भूमि भूमि में से अलग होकर बनवारीलाल पुत्र कुरड़ाराम के खेत में से होते परमानन्द व उसके भाई व अन्य लोग जाते आते रहे है वर्तमान में भी आ जा रहे है। परमानन्द के मन में लालच आ जाने के कारण व ग्रेवल सड़क बन जाने के कारण गलत रूप से नोरंगराम को तंग परेशान करने की नीयत से झूठी मुकदमेबाजी कर रहा है जबकि परमानन्द की सदामत से जिस रास्ते से आता जाता है वहां से ही रास्ता की मांग करनी चाहिए। हम सभी ग्रामवासी व पंचायत ग्रमा झारिया इस बात की साक्ष्य देते है कि नोरंगराम के खेत खसरा संख्या 155 में से परमानन्द का कभी भी रास्ता नहीं रहा है।

वादी के समर्थन में [illegible] परमानन्द मेरे काका के लड़के भाई है तथा यह हमारी पुश्तैनी जमीन है हम [illegible] से जोहड़ की भूमि से आवगमन करते थे व मदनलाल की ओर से बयान प्रस्तुत किया गया कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आसलखेड़ी की भूमि में है तथा तथा आसलखेड़ी व झारिया दोनों अलग–अलग ग्राम पंचायत है नोरंगराम के खेत में से कोई कटानी रास्ता नहीं है प्रतिवादी की ओर से खुमाराम व सोहनराम ने अपने बयान प्रस्तुत किये व कथन किया कि परमानन्द व नोरंगराम के खेत की सींव चिपकर है परमानन्द का खेत सड़क से 40 फीट लगता है व नोरंगराम का खेत झारिया की भूमि में तथा परमानन्द का खेत आसलखेड़ी की भूमि में है। अधिवक्ता उभय पक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत की वादी ने अपनी बहस में वादी ने दावे अंकित तथ्यों साक्ष्य शपथ–पत्रों एवं गवाहों की जिरह में अंकित तथ्यों को दोहराया है व अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी की भूमि अलग–अलग पटवार हल्कों की भूमि में है वादी पहले से आसलखेड़ी की रोही से होकर ही आता जाता रहा है परन्तु प्रतिवादी के खेत में ग्रेवल सड़क गुजर रही है व वादी इस सड़क से गुजरने के लिए अपने जोत के लिए नया रास्ता बनाना चाहता है इसलिए प्रतिवादी को परेशान कर दबाव बना कर रास्ता बनाना चाहता है मोके पर व राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है। रिपोर्ट पटवारी के संलग्न जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 155 में कुल 28 खातेदार है जिनमें से प्रतिवादी श्री नोरंगराम को ही पक्षकार संयोजित किया गया है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस के तथ्यों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी परमानन्द ने खसरा संख्या 809/627 रोही ग्राम आसलखेड़ी में जाने हेतु खसरा संख्या 155 रोही ग्राम झारिया में से गुजरने वाले कटानी रास्ता झारिया–खींवासर तक खसरा संख्या 155 में से रास्ते की मांग की है जबकि अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब में प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी पुराने समय से खसरा संख्या 809/627 से रोही ग्राम आसलखेड़ी से खसरा संख्या 808/627 खसरा संख्या 628 व जोहड़ पायतन के खसरा संख्या 157 से होते हुए झारिया–खींवासर कटानी रास्ते से आवागमन करता है जबकि रिपोर्ट तहसीलदार व पटवारी के अनुसार खसरा संख्या 808/627 में जाने के लिये खसरा संख्या 628 में से कटानी रास्ता है जो जोहड़ से होते हुए झारिया–खींवासर कटानी रास्ते में मिलता है परन्तु 808/627 से 809/627 तक जाने के लिये पगड्डी के पदचिन्ह नहीं है व उक्त रास्ता खसरा संख्या 155 में से चाहे गये रास्ते से तुलनात्मक दूरी काफी अधिक है। अतः प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 155 से चाहे गये रास्ते की दूरी निकटतम है परन्तु खसरा संख्या 155 के सभी खातेदारों को प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जिन खातेदारों के खेत में से रास्ता कटानी किया जाना है उनकी सुनवाई किये बिना उनके ही खेत में से कटानी रास्ता कायम किया जाना उचित नहीं है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

"आदेश"

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रार्थना –पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार–1) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू